न्यायालय :चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।
रिलीज प्रार्थना–पत्र सं0–1288/2026
राज्य बनाम मो0 साहिल

थाना–प्रेमनगर, देहरादून।

वाहन रिलीज आदेश

दिनांक 16.04.2026

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी मोहम्मद साहिल पुत्र श्री मौहम्मद युनुस निवासी 490/434 गांधी ग्राम पटेलनगर देहरादून की ओर से वाहन को निर्मुक्त किये जाने के संबंध में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी रॉयल इनफील्ड जीटी 650 सीसी **Ragistration No. UK07FT9513** का पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थी का उक्त वाहन दिनांक 30.11.2025 से थाना प्रेमनगर में निरूद्ध है। प्रार्थी छात्र है व कालेज जाने हेतु उपरोक्त वाहन का उपयोग करता था। प्रार्थी का उक्त वाहन थाने के बाहर खुले में खडे खड़े खराब हो जायेगा। अतः प्रार्थी के द्वारा उक्त वाहन को अपने पक्ष में निर्मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

2. सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 30.11.2026 को आवेदक मौ0 साहिल पुत्र मौ0 यूनुस देहरादून की रॉयल इनफील्ड मोटरसाईकिल जिसे उसका दोस्त आयुष कौशल पुत्र अरविंद कौशल मांग कर ले गया था तथा उसे चला रहा था। उक्त वाहन आयुष कौशल द्वारा अनियंत्रित होकर के दुर्घटना ग्रस्त हो गयी थी जिसमें आयुष घायल हो गया था जिसकी दिनांक 05.12.2025 को उपचार के दौरान महंत इन्द्रेश में मृत्यु हो गयी थी। दुघ र्टिनाग्रस्त इनफील्ड उपरोक्त वाहन को थाना प्रेमनगर पर सुरक्षा की दृष्टि से खड़ा किया गया था।

3. अभियोजन के कथनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर स्वयं को उक्त मुकदमे से संबंधित वाहन का स्वामी होना अभिकथित करते हुए उक्त वाहन को अपने पक्ष में निर्मुक्त कराये जाने हेतु आदेश पारित किए जाने की याचना की गयी है, जिसके समर्थन में प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन के सम्बन्ध में आधार कार्ड, आर0सी0 की पर्टिकूलर छायाप्रति संलग्न की गई हैं, जिससे यह दर्शित है कि प्रार्थी वाहन **UK07FT9513** का प्रथमदृष्टया रजिस्टर्ड स्वामी होना दर्शित होता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य ए0आई0आर0 2003 सु0को0 पेज 638** के मामले में पैरा संख्या–7 में यह निर्देश दिये गये हैं कि–

7. "In our view, the powers under section 451. Cr.P.C. should be exercised expeditiously and judiciously. It would serve various purposes namely:-

1. owner of the article would no suffer because of its remaining unused or by its misappropriation,
2. court or the police would not be required to keep the article in safe custody,
3. it the proper panchnama before handing over possession of article is prepared, that can be used in evidence instead of its production before that court during the trial. If necessary, evidence could also be recorded describing the nature of the property in detail, and
4. This jurisdiction of the court to record evidence should be exercised promptly so that there may no be further chance of tempering with the articles.

4. प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत वाहन पर अपना स्वामित्व दर्शाया गया है तथा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत वाहन पर अपना हक नहीं जताया गया है। अतः संबंधित थाने में दाखिल प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी/आवेदक के पक्ष में उपरोक्त मामले में निर्मुक्त किये जाने का समुचित आधार है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/आवेदक मोहम्मद साहिल की ओर से प्रस्तुत वाहन निर्मुक्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रश्नगत वाहन को निम्न शर्तों के अधीन निर्मुक्त किया जाता है कि–

1. प्रार्थी मु0 1,00,000/– (एक लाख रूपये) की अण्डरटेकिंग एवं समान धनराशि का एक जमानती न्यायालय में प्रस्तुत करेगा कि उक्त वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं किया जायेगा व न ही किसी अन्य को हस्तांतरित किया जायेगा और न ही उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जायेगा।
2. न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वाहन को तलब किए जाने पर प्रार्थी अपने खर्चे पर उक्त वाहन को विनिर्दिष्ट समय, स्थान व दिनांक पर उपलब्ध करायेगा।

3. सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि यदि वाहन **UK07FT9513** किसी अन्य मामले में वांछित ना हो तो, उक्त वाहन को उसके पंजीकृत वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में निर्मुक्त कर दें।

(रमेश चन्द्र)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।